



पत्रांक : कु0स0-2B स0अ0/ /01-1463-2024/2025

दिनांक : सितम्बर, 2025

सेवा में,

प्रबन्धक,
बनारस इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन,
निबाह, पिण्डरा,
वाराणसी।

10.10.25

विषय : महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कला संकाय के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल एवं राजनीति विज्ञान विषय के संचालन हेतु सम्बद्धता अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में सूच्य है कि विश्वविद्यालय के पत्र संख्या- कु0स0-2 B स0अ0/6111/01-1463-2024/2025 दिनांक 20 जून, 2024 द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा-37(2) परन्तुक के अधीन दी गयी सम्बद्धता की अनुमति के आलोक में आप द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 23.09.2025 के साथ इंगित कमियों यथा संदर्भित विषय का मानकानुसार परीक्षाफल का प्रमाण प्रस्तुत करने की स्थिति में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की बैठक दिनांक-27.05.2025 के बिन्दु संख्या-25 में लिये गये निर्णय के आलोक में सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक-08.06.2024 में जनपद- वाराणसी के क्रमांक-16 पर अंकित बनारस इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, निबाह, बाबतपुर, वाराणसी में कला संकाय के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल एवं राजनीति विज्ञान विषय में अधोलिखित शर्तों के अधीन दिनांक- 01.07.2024 से सम्बद्धता (स्थायी) की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के भविष्य में इतर पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद/शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
2. महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किये जाने, मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाये जाने एवं अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आने पर सम्बद्धता वापस लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रकरण कार्यपरिषद को संदर्भित किया जायेगा।
3. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा-37(6), 37(7) तथा 37(8) में प्राविधानित अधोलिखित प्राविधान भी प्रभावी होंगे:-
37(6) :-कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जायेगी।
37(7) :-कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।
37(8) :-कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी भी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिणयों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

4. महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा भविष्य में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेश/निर्देश के पालन हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर सम्बद्धता आदेश निर्गत किया जा रहा है। भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाये जाने व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
5. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
6. रिट याचिका सं0-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/ 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के साथ ही शासनादेश सं0-226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13.03.2020 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. संस्था/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 15 अगस्त तक इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है जिसका प्रमाण विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
8. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,


कुलसचिव


प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

1. वै0स0, कुलपति - मा0 कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. विशेष सचिव- उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव